न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–17/2021 (2021/181) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–अम्बालाल पिता लक्ष्मण जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कस्तुर पिता लक्ष्मण जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–माधु पिता किशन जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–पारस पिता किशन जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–बक्षु पिता डालु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–लेहरी पत्नि मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–रूकमण पत्नि डालु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–हीरा पिता घीसा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–भैरू पिता डालु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–किशन पिता मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–पुष्पा पुत्री मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–केसर पुत्री मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. अमर सिंह – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–03.12.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 10 में अकिंत आराजी संख्या 833 रकबा 0.62 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता सरकारी बिला[illegible] की शामलाती आ.स. 840, 841 की पूर्वी पाली पर होकर विपक्षीगण की आ.स. 8[illegible] की [illegible] पश्चिमी पाली से प्रवेश कर वहां स्थित कुए के पास 15 फीट चोड़े [illegible] होकर [illegible] की शामलाती आराजी संख्या 832 से होकर आ.स. 833 में प्रवेश करते चले आ रहे हैं [illegible] प्रार्थीगण अपने [illegible] वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में संज, बैल, गाड़ा ट्रैक्टर आदि लेकर आवागमन कर कृषि आराजियात में फसल लाभ ले रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन बाबत् कोई रास्ता विद्यमान नही है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:09 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थीगण के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से गुलाबी स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर आराजी संख्या 829 की दक्षिणी पाली से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 832 तक खुला हुआ है तथा दोनो जगह प्रवेश के स्थान पर प्रार्थीगण द्वारा जाली लगा रखी है। परंतु विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के उक्त विद्यमान कदीमी रास्ते को दिनांक 12.10.2021 को बंद कर दिया तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने पर लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के आराजी संख्या 829 में स्थित 15 फीट चोड़े रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता आराजी संख्या 829 की दक्षिणी पाली पर स्थित 15 फीट चोड़ा रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 833 में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 829 में 15 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप मे काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब व काउन्टर क्लेम के रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली की किया गया। विपक्षी संख्या 9 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षीगण की ओर से जवाब व काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 840 से 833 में जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 829 में रास्ता चाहा गया है जिसमे प्रार्थीगण 840 से 833 में आ जा सके उसमे विपक्षीगण को 829 में रास्ता देने में कोई आपत्ति नही है बल्की विपक्षीगण की आराजी संख्या 833, 835 से होकर 902 में रास्ता चाहा है। अतः जवाब व काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए विपक्षीगण की आराजी संख्या 902 में जाने का रास्ता प्रदान करे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में दोनो पक्षो के द्वारा मौके पर रास्ते को लेकर कोई आपत्ति नही की गई। जहां प्रार्थीगण आराजी संख्या 829 में रास्ता चाहते है वहां विपक्षीगण द्वारा कोई आपत्ति नही करते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी संख्या 832 व 835 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी संख्या 902 में जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जिस पर प्रार्थीगणो द्वारा भी कोई आक्षेप व विरोध नही कर सहमति व्यक्त की गई है। दौराने सुनवाई भू अभिलेख निरीक्षक से प्रस्तावित रास्ते के रकबे का आंकलन कराया जाकर मौका रिपोर्ट ली गई जिस पर आराजी संख्या 829 में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते का रकबा 60X5 मीटर से 0.0300 है0 एवं विपक्षीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 832 व 835

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:09 IST
Reason: SelfAttested

की पश्चिमी के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 3.30 मीटर चौड़ाई में रास्ते का रकबा 0.0300 है0 बनता है जिसमे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को विपक्षीगण द्वारा चाहा गया रास्ते में समायोजन करने पर रकबा बराबर होता है। आराजी संख्या 829, 832, 835 में प्रस्तावित रास्ते के रकबे को बिलानाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 833 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 829 रकबा 0.28 है0 मे से 0.0300 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 902 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 832 रकबा 0.03 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर, आराजी संख्या 835 रकबा 0.54 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0300 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए प्रार्थीगण व विपक्षीगण के आपस भूमि विनिमय होने से किसी भी पक्ष को कोई लेन देन किये बिना प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3-12-2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—17/2021 (2021/181) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता लक्ष्मण जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कस्तुर पिता लक्ष्मण जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—माधु पिता किशन जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—पारस पिता किशन जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बक्षु पिता डालु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—लेहरी पत्नि मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—रूकमण पत्नि डालु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—हीरा पिता घीसा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—भैरू पिता डालु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—किशन पिता मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—पुष्पा पुत्री मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—केसर पुत्री मांगु गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 833 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 829 रकबा 0.28 है0 मे से 0.0300 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 902 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 832 रकबा 0.03 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर, आराजी संख्या 835 रकबा 0.54 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0300 है0 यानि 300 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए प्रार्थीगण व विपक्षीगण के आपस भूमि विनिमय होने से किसी भी पक्ष को कोई लेन देन किये बिना प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:09 IST
Reason: SelfAttested

3.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा